बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग,
विकास भवन, न्यू सचिवालय, बेली रोड, पटना–800015

।। भाड़े पर वाहन हेतु कोटेशन का आमंत्रण ।।

नगर विकास एवं आवास विभाग में भाड़े पर अनुबंध के आधार पर वाहन रखने के लिए पंजीकृत ट्रैवेल एजेन्सियों से निम्नांकित शर्त्तों पर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. वाहर का दर प्रति माह ईंधन रहित परिचालन सभी करों यथा सर्विस टैक्स शुल्कों सहित अंकित करना होगा जिसके अन्तर्गत वाहन चालक वाहन का रख–रखाव मरम्मति, टैक्स एवं सुरक्षा संबंधी सभी व्यय का वहन वाहन मालिक को करना होगा।

2. कोटेशन सीलबंद लिफाफा में निम्न प्रपत्र में पुरा भरकर देना होगा। अपूर्ण प्रपत्र देने वाले एजेन्सी का कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

SL. No.	Name of vechile	Rate in Rupees (Exclusive of Govt. taxes)									
		Local Booking			Outstation Booking			Monthly Booking			
		Half Day (35 Km/4Hr.)	Full Day (60 Km/12Hr.)	Full Day (75 Km/12Hr.)	Basic Rate Rs. Per Km.	Night Halt	Minimum Chargeable Amount Per Day	Up to 1000 Km.	Up to 1500 Km.	Extra Rate per Km. beyond 1000 Km.	Extra Rate per Km. beyond 1500 Km.
1.	SCORPIO (A/C)										
2.	SUMO/BOLERO (A/C)										
3.	INDIGO (A/C)										
4.	INDICA (A/C)										
5.	XYLO/INNOVA/ SAFARI (A/C)										
6.	SWIFT DESIRE										
7.	FIESTA (FORDS)										

3. वाहन में न्यूनतम ईंधन का खपत 10 / 12 कि0मी0 प्रति लीटर या अधिक ही मान्य होगी।

4. निविदा रजिस्टर्ड एजेन्सी का ही स्वीकार किया जायेगा। निविदा एक लिफाफा में ही प्राप्त किया जायेगा। जिसमें वाहन संबंधी सभी कागजातों की अभिप्रमाणित फोटो प्रति यथा फर्म के निबंधन का प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र तथा उपरोक्त प्रपत्र में अंकित अलग–अलग दर रहना चाहिए।

   निविदा के साथ में 20,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के नाम से Pledge हो संलग्न करना होगा।

   सभी कागजात एवं उद्धृत दर एक ही लिफाफे में सीलबन्द स्वरूप में जमा करना होगा। असफल कोटेशनदाता का बैंक ड्राफ्ट कोटेशन पर निर्णय होने के पश्चात् लौटा दिया जायेगा। सफल कोटेशनदाता का बैंक ड्राफ्ट अनुबंध अवधि तक सुरक्षित जमा राशि के रूप में रखा जायेगा, तत्पश्चात् अवधि समाप्त होने पर बैंक ड्राफ्ट लौटाया जायेगा। साथ ही अनुबंध अवधि तक ड्राफ्ट की वैद्यता रखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

5. गाड़ी परिचालन योग्य नहीं होने तथा खराब होने पर निविदादाता को तुरन्त समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। दो वर्षों से पुरानी गाड़ी मान्य नहीं होगी।

6. गाड़ी की कार्यअवधि सामान्यतया 12 घंटे की होगी, परन्तु पटना के बाहर कार्यस्थल निरीक्षण पर जाने अथवा कार्यहित में अधिक घंटे के उपयोग के लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगी, बशर्त्ते कि वो मासिक निर्धारित दूरी (1000/1500km) की अधिसीमा में हो।

7. गाड़ी का वाणिज्यिक निबंधन होना चाहिए तथा अन्य सभी वांछित कागजात अद्यतन स्थिति में होनी चाहिए। अगर किसी कागजात में कमी अथवा अन्य कारण से सक्षम पदाधिकारी द्वारा अर्थदंड लिया जाता है तो उसका भुगतान गाड़ी के मालिक को करना होगा। गाड़ी परिचालन हेतु अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। निविदा स्वीकृत होने पर गाड़ी के सभी कागजात जो अद्यतन स्थिति में हो की छाया–प्रति तथा ड्राईवर के ड्राईविंग लाईसेंस की छाया–प्रति विभाग मुख्यालय में जमा करनी होगी।

8. गाड़ी के लिए एक लॉग बुक होगा, जिसमें प्रभारी पदाधिकारी द्वारा उपयोग किये गये कि0मी0 को दर्ज किया जायेगा।

9. एकरारनामा एक वर्ष के लिए मान्य होगा, परन्तु यथा आवश्यक उभय पक्ष की सहमति से किये गये एकरारनामा को अवधि एकरारनामा में स्वीकृत दर एवं शर्त्त पर विस्तारित की जा सकती है, जो अधिकतम एवं वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. सभी कोटेशन कागजात दिनांक– 27/02/2017 के 3.00 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से ही भेजे जाने पर प्राप्त किया जायेगा। हाथो–हाथ कोई भी कोटेशन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

11. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना में उसी दिन कोटेशनदाता की उपस्थिति में अपराह्न 5.00 बजे उनका बीड खोला जायेगा।

12. उक्त कोटेशन के संबंध में प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में श्री अमितेश कुमार आई0टी0 मैनेजर दूरभाष सं0–0612–2210000 से सम्पर्क किया जा सकता है।

13. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को कोटेशन स्वीकार करने अथवा सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. कोटेशनदाता को सभी प्रकार के वाहनों के लिए अलग–अलग दर निर्धारित प्रपत्र में उद्धृत करना होगा।

(हस्ताक्षर) 10.02.17
अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

07 न॰ वि॰ स्था॰-35/2016

ज्ञापांक 211 / **दिनांक** 10/2/17

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को आमंत्रण सूचना की सी0डी0 एवं 5 (पाँच) प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के दो–दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0:– 1. आमंत्रण सूचना 5 प्रतियों में।
2. सी0 डी0 एक प्रति में।

(हस्ताक्षर) 10.02.17
अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

10-2-17